न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 04/2019

अपीलान्ट

मुनीरा बानो पुत्री जहीर अहमद पत्नि इफ्तेखारूल हसन, जाति मुसलमान, निवासी बासनी हाउस, कपड़ा बाजार, जोधपुर ।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

01. ताहिर उल हक पुत्र जहीर अहमद
02. गय्यूरूल हुसैन पुत्र जहीर अहमद
03. नजीर हुसैन पुत्र जही अहमद
04. मोहम्मद साबिर पुत्र जहीर अहमद
    सभी जातियान मुसलमान, निवासीगण खेरादियों का बास, ताहा टेलर, ईशाखिया स्कूल, जोधपुर ।
05. कोसन बानो पुत्री जहीर अहमद पत्नि मो0 फारूख, जाति मुसलमान, निवासी 15ए1 बफर जोन नोर्थ, नाजमाबाद, कराची, पाकिस्तान ।
06. ग्राम पंचायत बोरानाडा, जरिये सरपंच ।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 364 जो ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा दिनांक 05.11.2014 को स्वीकार किया गया ।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री प्रेमकुमार देवड़ा।
2. रेस्पोडेन्टस की तरफ से अभिभाषक श्री मो॰ आसिफ खान

–: आदेश :– दिनांक 17/02/2020

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 364 जो ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा दिनांक 05.11.2014 को स्वीकार किया गया के विरूद्ध पेश की हैं जिसके तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थीनी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमियां वाके राजस्व ग्राम बासनी सिलावटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आयी हुई स्थित हैं जिसके खसरा नं0 एवं रकबा निम्न अनुसार हैं:–

क्रम संख्या	खसरा संख्या	रकबा(बीघा)
01.	57/2	13–10
02.	46	00–05
03.	49/3	04–16
04.	37	28–05
05.	47	07–12
06.	49/2	19–17
07.	57	01–14
08.	57/1	02–01
09.	58	02–10
10.	59	01–14

कुल खसरें दस कुल रकबा 82 बीघा 04 बिस्वा ।

चूंकी पूर्व में उक्त भूमियां अपीलार्थीनी के पिता जहीर अहमद की सहखातेदारी की कृषि भूमियां थी । अपीलार्थीनी के पिता के देहान्त के पश्चात उनके हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा केवल उनके पुत्रगण रेस्पोडेन्ट संख्या

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner

एक से चार के नाम ही दर्ज किया गया जबकि ग्राम पंचायत द्वारा स्व0 जहीर अहमद के सभी वारिसानों के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था । अपीलार्थीनी ने उक्त भूमियों में से अपने हिस्से की भूमि पर केसीसी लेने हेतु पटवारीजी से दिनांक 15.03.2019 को जमाबन्दी की नकलें मांगी तो पटवारीजी ने अपीलार्थीनी को बताया कि आपका नाम तो राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरान की भूमियों में दर्ज ही नहीं हैं नाम दर्ज नहीं होने के बारे में पटवारीजी से पूछा तो उन्होने जहीर अहमद के विरासत का नामान्तरकरण संख्या 364 देखकर बताया कि आपके पिता जहीर अहमद के फौत होने पर ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा केवल मात्र पुत्रगण के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं पुत्रियों के नाम दर्ज नहीं हुए हैं । अपीलार्थीनी ने खुद का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने हेतु पटवारीजी से निवेदन किया तो उन्होने राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करने से मना कर दिया एवं सलाह दी कि अगर आपको अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना हैं तो तुम्हें न्यायालय से आदेश लाना पड़ेगा । पटवारीजी ने दिनांक 03.2019 को अपीलार्थीनी को उक्त नामान्तरकरण संख्या 364 की नकल दी जिस नामान्तरकरण संख्या 364 के विरूद्ध यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश हैं:–

01. यह कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं ।

02. यह हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही अनाधिकार पूर्ण होने से निरस्त करने योग्य हैं । ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई जांच किये बगैर ही स्व0 जहीर अहमद के केवल मात्र पुत्रगणों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जबकि स्व0 जहीर अहमद के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या एक से चार के अंलावा पुत्रियां अपीलार्थीनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या पांच भी हैं ।

03. यह हैं कि नामान्तरकरण की कार्यवाही करने एवं इसे स्वीकार करने में हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पंचायत ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का तथा अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया हैं इस कारण भी नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

04. यह हैं कि पटवारी हल्का ने स्व0 जहीर अहमद के वारिसानों के बारे में अपने स्तर पर पता ही नहीं किया केवल मात्र नजीर हुस्सैन द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र के आधार पर केवल मात्र पुत्रों के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर दिया एवं आर.आई. ने भी पटवारी द्वारा दर्ज अनुसार ही तस्दीक कर दिया किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की एवं सरपंच ने भी बिना जांच के ही उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत कर दिया । इन सभी के द्वारा की गयी तमामा कार्यवाही से ऐसा जाहिर होता हैं कि उन्होने तमाम कार्यवाही स्व0 जहीर अहमद के पुत्रों से मिलीभगत करके की हैं ।

05. यह हैं कि विरासत का नामान्तरकरण सभी वारिसानों के हक में ही स्वीकार किया जा सकता हैं जबकि इस मामले में स्व0 जहीर अहमद के केवल मात्र पुत्रगणों के नाम ही यह नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं इस प्रकार तमाम कार्यवाही अनियमितताओं का पिटारा हैं एवं इस नामान्तरकरण के आधार पर जो इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में किये गये हैं वे निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

अन्त में निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जावें एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 364 जो कि ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा स्वीकृत किया गया हैं उसे निरस्त किया जावें तथा जहीर अहमद के सभी पुत्रों एवं पुत्रियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावें ।

अपीलार्थीनी ने उक्त अपील के साथ में धारा 5 परिसीमा अधिनियम एवं एक प्रार्थना पत्र बाबत् अनुमति पेश करने अपील का भी प्रस्तुत किया ।

(सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इसको पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किये गये तथा प्रकरण में बहस सुनी गयी ।

अपीलान्ट अभिभाषक ने मौखिक बहस करते अपील में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए अपील एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का का प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र बावत् अनुमति करने अपील का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । रेस्पोडेन्ट की तरफ से वक्त बहस उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहें ।

हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र बावत् अनुमति करने अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अध्ययन किया तथा अपीलान्ट की बहस पर भी मनन किया । इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह हैं कि ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 364 स्वीकार किया गया हैं वह विरासत का नामान्तरकरण हैं एवं उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता हैं कि उक्त नामान्तरकरण सभी विधिक वारिसानों के नाम से दर्ज नहीं किया जाकर केवल मात्र पुत्रों के नाम से ही दर्ज किया गया हैं जबकि अपीलार्थीनी अपने आपको भी स्व0 जहीर अहमद जी की पुत्री बताती हैं। ऐसी स्थिति में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र बावत् अनुमति करने अपील का स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती हैं ।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 364 जो कि दिनांक 05.11.2014 को स्वीकार किया गया हैं उसे निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लूणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि स्व0 जहीर अहमद के सभी विधिक वारिसान की जॉच कर सभी विधिक वारिसान के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत करें ।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

निर्णय आज दिनांक 17/02/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner